अति महत्वपूर्ण
संख्या:5903 आर/छः-पु5-542/97

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः अप्रैल 17,1998

विषयः जेल कर्मियों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वरीयता के आधार पर अनिषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3520 आर/छः-पु-5-526/95, दिनांक 17 जनवरी, 1997 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कारागार विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्होनें आत्मरक्षार्थ एक आग्नेयास्त्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जॉच कराकर आयुध अधिनियम 1959 एवं नियमावली 1962 के प्राविधानों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक तत्काल निर्णय लिया जाय। इस संबंध में कृपया संबंधित जेल कर्मी की सामान्य ख्याति, को आवश्यक रूप से देखने के उपरान्त शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुरूप केवल पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को ही लाइसेन्स निर्गत किया जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्य तथा दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपिः- 1- प्रमुख सचिव, कारागार, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।